ऑनलाइन जमा होगा टैक्स

नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकेंगे टैक्स

संवाददाता, पटना

राजधानी के लोग नगर निगम को दिये जानेवाले स्व कर का निर्धारण व भुगतान अब घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर सकेंगे. इसके लिए स्वयं निर्धारित कर का निर्धारण कंप्यूटर डाटाबेस में करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत घर बैठे ही करदाता कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से स्व 'कर' का निर्धारण कर नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं. स्पर टीम के सहयोग से यह योजना बनायी गयी है. सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जायेगा. प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद निगम बोर्ड की बैठक से हरी झंडी मिलने के बाद करदाताओं को सुविधा मिलने लगेगी. वर्तमान में स्व कर का निर्धारण फॉर्म में भरते हैं और उसे भरने के बाद निगम के नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर जमा करते हैं, जहां केंद्र पर बैठे कर्मचारी बताते हैं कि कितना पैसा जमा करना है.

कोताही बरते तो निलंबित होंगे टैक्स कलेक्टर

पटना. नगर आयुक्त ने टैक्स कलेक्टरों को कड़ी चेतावनी दी है. अगर टैक्स कलेक्टर टैक्स की वसूली अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो कमीशन के कार्य से मुक्त हो जायेंगे और निलंबित कर दिये जायेंगे. इसका निर्णय शनिवार को नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने शनिवार को टैक्स कलेक्टर के साथ हुई बैठक में लिया. नूतन राजधानी अंचल के टैक्स कलेक्टर के साथ उन्होंने बैठक की. राजस्व संग्रह की धीमी रफ्तार से नाराज थे. सभी कर संग्राहकों को टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने को कहा.

अधिकतर खाता धारकों के पास नेट बैकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि है. इसे देखते हुए नयी सुविधा शुरू करने की योजना बनायी गयी है. विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार स्व कर निर्धारण की प्रक्रिया पटना नगर निगम में प्रारंभ हो चुकी है एवं स्वयं निर्धारित 'कर' का निर्धारण कंप्यूटर डाटाबेस में करने की योजना है.

कुलदीप नारायण, कमिश्नर, नगर निगम